



# **BAGHPAT POLICE**



थाना कोतवाली बागपत साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत साइबर सेल, जनपद बागपत द्वारा फ्रॉड तरीके से कस्टमर केयर बनकर ठगी की गयी सम्पूर्ण धनराशि- 11,499/- रुपये वापस कराये गये-

1-पीडित अमित कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी अग्रवाल मंडी कस्बा टटीरी वार्ड नं0 07 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं0 33112250186974 पर 11499/- रुपये का साइबर फ्रॉड हो जाने के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करायी । जिसके फलस्वरूप



थाना कोतवाली बागपत साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित वैधानिक कार्यवाही की गयी । पीडित के बैंक खाते हुये फॉड की सम्पूर्ण धनराशि- 11499/- रुपये वापस कराये गए ।

रुपये वापस मिलने पर पीडित द्वारा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	बागपत	33112250186974	11499/-रुपये



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 31.12.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 615/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/333/76/117(2)/109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.10.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी रामलखन पुत्र लक्ष्मण, निवासी ग्राम नया गाँव उर्फ हमीदाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. शिवा पुत्र संदीप, 2. सोनी पुत्री संदीप, 3. 01 महिला निवासीगण



कुण्डली, नई दिल्ली, 4. देवेन्द्र पुत्र लखमीचन्द, 5. बन्टी पुत्र देवेन्द्र, 6. आशु पुत्र देवेन्द्र, 7. कमलेश पुत्र प्रदीप, 8. प्रदीप पुत्र सुरेशपाल, 9. सोनू पुत्र सुरेशपाल, 10. जोनी पुत्र विजयपाल, 11. राहुल पुत्र राजकुमार, 12. मोहित पुत्र राजकुमार, 13. सुरेशपाल पुत्र वीर सिंह, 14. रवि पुत्र राजकुमार, निवासी ग्राम नया गाँव, हमीदाबाद, 15. पवन पुत्र हरिचन्द, निवासी जनपद गाजियाबाद एवं 16. 02 अज्ञात ने वादी के घर में घुसकर वादी की माता के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की। इस दौरान वादी की माता के कपड़े फाड़ दिए गए तथा उनके सिर पर वार किया गया। मारपीट में वादी के भाई गौरव के दांत और जबड़ा टूट गया, रामलखन का कान कट गया तथा वादी की माता और लक्ष्मण को गंभीर चोटें आईं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर

/352/333/76/117(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**कार्यवाही-**


बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 615/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/333 /76/117(2)/109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

मोहित पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम नया गाँव उर्फ हमीदाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1- उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2- का0 369 विशाल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 31.12.25

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 465/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।



**महत्वपूर्ण सूचना-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राहिल पुत्र अलीशेर निवासी करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध तमन्चा .315 बोर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

4-है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 31.12.25

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 463/25 धारा 305 बीएनएस में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 छत का पंखा बरामद ।

#### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.12.25 को थाना खेकड़ा पर वादी संदीप कुमार पुत्र श्री इंदर पाल सिंह निवासी सुभाषनगर वाई पास रोड शामली जनपद शामली कार्यरत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय डूण्डाहैडा रोड करम्बा खेकड़ा ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय से 01 इनवर्टर , 01 बैट्रा , 01 छत का पंखा व शौचालय में लगी 03 टोटी आदि सामान चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 463/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



#### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाना के मु0अ0सं0 463/25 धारा 305 बीएनएस में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 छत का पंखा बरामद हुआ है ।



उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

शाहरुख उर्फ साजिद पुत्र यामीन मूल निवासी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत हाल निवासी नया अड्डा कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 छत का पंखा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0 11/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 393/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-का0 911 श्यामवीर सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4-का0 247 निशान्त शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

